

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 05 मेरठ।

वाद सं० - 50741/2019

CNR- UPME040539812019

एच डी एफ सी बैंक प्रति लक्ष्मीकान्त कुमार

धारा- 138 एन०आई०एक्ट

थाना- लालकुर्ती मेरठ।

03.01.2020

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.09.2019 प्रस्तुत हुई। जिसके माध्यम से परिवादी अपने इस परिवाद पर अब बल नहीं देना चाहता है व उसका कथन है कि विपक्षी / अभियुक्त की मृत्यु हो जाने की जानकारी प्रार्थी / परिवादी को मिली है और वह उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहता जिसे दाखिल दफ्तर किया जावे।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रश्नगत परिवाद में जब परिवादी अपने परिवाद को चलाना नहीं चाहता है तब परिवाद में विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कोई पर्याप्त आधार नहीं रह जाता है व परिवाद अन्तर्गत धारा 203 सी०आर०पी०सी० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 सी०आर०पी०सी० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं० 05, मेरठ।